न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 314 / 2024
अनवान : –

1. कृष्ण पुत्र निराणाराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. रामेती पुत्री निराणाराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. सतवीर पुत्र निराणाराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
3. सोना देवी पुत्री निराणाराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
4. विमला पुत्री निराणाराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
5. कलावती पुत्री निराणाराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
6. सुरेन्द्र पुत्र निराणाराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः – 26/04/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 20 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 89 / 3 की कुल 1.3670 हैक्ट भूमि में से 1 / 3 हिस्सा भूमि वादी की माता भागा पत्नी निराणाराम के नाम दर्ज है।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड रिकार्ड में भागी पत्नी निराणाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। भागी पत्नी निराणाराम का स्वर्गवास हो चुका है भूमि भागी पत्नी निराणाराम के जायज वारिस सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी के पक्ष में परित्याग कर चुके है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज [illegible] तो [illegible] तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलि[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:49:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 6 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 7 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण पत्र भागा देवी पत्नी निराणाराम, वारिसान प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान राजस्व रिकार्ड रिकार्ड में भागी पत्नी निराणाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। भागी पत्नी निराणाराम का स्वर्गवास हो चुका है भागी पत्नी निराणाराम के जायज वारिस सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी के पक्ष में परित्याग कर चुके है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 20 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 89/3 की कुल 1.3670 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि वादी की माता भागा पत्नी निराणाराम के नाम दर्ज है वादी का कथन है कि वादी की माता भागा पत्नी निराणाराम की स्वर्गवास हो चुका है भागा पत्नी निराणाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:49:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

के पक्ष में परित्याग कर चुके है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी काबिज है। वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार कार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा वारिसान प्रमाण पत्र एवं सजरा खानदान के अलावा मृतक भागा पत्नी निराणाराम के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 20 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 89/3 की कुल 1.3670 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि में मृतक भागा पत्नी निराणाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26/04/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:49:07 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 314 / 2024
अनवान : –

1. कृष्ण पुत्र निराणाराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. रामेती पुत्री निराणाराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. सतवीर पुत्र निराणाराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
3. सोना देवी पुत्री निराणाराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
4. विमला पुत्री निराणाराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
5. कलावती पुत्री निराणाराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
6. सुरेन्द्र पुत्र निराणाराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 314 सन 2024 निर्णय दिनांक – 26/04/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 20 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 89 / 3 की कुल 1.3670 हैक्ट भूमि में से 1 / 3 हिस्सा भूमि में मृतक भागा पत्नी निराणाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 /– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/04/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:49:07 IST
Reason: SelfAttested